फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

धोकलराम —बनाम— स्टेट आदि

किस्म मुकदमा :— 188 आरटीए

नं0 29 सन् 2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22/05/2018	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैंप खारा पर प्रस्तुत हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित। पक्षकारान आपसी सहमति के आधार पर प्रकरण में निस्तारण चाहते हैं, अतः उनके इस लिखित कथनों को रिकार्ड पर लिया गया तथा ,प्रकरण को अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है। 2— वादी धोकलराम पुत्र तोलाराम जाति कुम्हार निवासी खारा तहसील व जिला बीकानेर ने एक वाद—पत्र प्रतिवादी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बीकानेर एंव सोहनलाल, पालाराम व बन्ताराम पुत्रगण जैसाराम जाति ओड निवासी ग्राम खारा के विरूद्ध बाबत् चिरनिषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वादग्रस्त आराजी चक 1 जेएमडी हाल चक 1 बीएमडी स्थित मु.नं. 148/34 के किला नम्बर 5 ता 7 तादादी 3 बीघा, 15 व 16 तादादी 2 बीघा, मु.नं. 148/62 के किला नम्बर 9 ता 13 व 19 ता 21 तादादी 8 बीघा इस प्रकार कुल 12 बीघा 18 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत करते हुवे अभिकथन किया कि वादग्रस्त आराजी उसकी अभिलिखित खातेदार एवं कब्जे अधिकार में संवत् 2069 से 2072 की जमाबंदी में खाता संख्या 26 अन्तर्गत दर्ज है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे विवादित भूमि से वादी को बेदखल कर काबिज होना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है, प्रतिवादीगण का यह कृत्य गैर कानूनी है। अतः उन्हें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाने का वाद स्वीकार कर वादी के हित में आज्ञप्त किया जावे।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

3– इस वाद के प्रतिवादीगण को सम्मन बनाम मुद्दायलान बिनावर कायमी तनकियात दिलाया गया। प्रतिवादीगण वर्ष सन् 2016 के अभियान में कैंप खारा पर उपस्थित आये थे और लिखित में एक आवेदन प्रस्तुत कर वादगत भूमि से उनका कोई सारोकर नहीं होना बताया। लेकिन प्रकरण का उस समय निस्तारण नहीं हो सका जो अब कर दिया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपनी लिखित सहमति प्रकट की है कि विवादित भूमि से उनका कोई संबंध नहीं हैं तथा ना वे कोई हस्तक्षेप वादी के कब्जे काश्त में करेंगे। प्रतिवादीगण की उक्त लिखित स्वीकारोक्ति को देखते हुवे वादी का वाद स्वीकार योग्य हो जाता है।

4– परिणामस्वरूप वाद वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् दखलदाजी करने की रोक आज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ डिक्री चिरनिषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण चक 1 जेएमडी की संवत् 2069 से 2072 की जमाबंदी में दर्ज भूमि जो वादी की खातदेरी की है, में किसी प्रकार की मदालखत व दखलदाजी न करें तथा ना ही किसी अन्य से करवावे तथा ना ही कोई ऐसा कृत्य या अकृत्य करें जिससे वादी की खातेदारी अधिकारों पर विपरीत असर न पड़ता हो।

5– निर्णय आज दिनांक 22/05/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नानूराम सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official